Seventeenth Series, Vol. XII No. 6 Tuesday, July 27, 2021
Sravana 5, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi
Srivilasa Pandey

Joint Director

Kamala Subramanian

Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 06, Tuesday, July 27, 2021/Sravana 5, 1943 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCES	8-9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 101 to 104	11-23
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 105 to 120	39-112
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	113-863

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 865-871

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
Statement 872

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
308th Report 872

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
295th Report 873

MATTERS UNDER RULE 377 877-900

(i) Regarding the powers of Gram Sarpanch in Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 877

(ii) Regarding cultural tourism in Deoghar, Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 878

(iii) Regarding upliftment of SCs/STs

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 879

(iv) Need to expedite payment of export subsidy to sugar mills in Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava 881-882

(v) Need to ensure purchase of 'Chana Harbhara' by NAFED in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas 882

(vi) Need to prohibit web series on internet depicting objectionable content

Shri Mukesh Rajput 883

(vii) Regarding religious conversion of Adivasi people in Sukma district of Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 884

(viii) Need to start Singrauli - Jabalpur Inter-City railway service

Shrimati Riti Pathak 885

(ix) Need to include Rajasthani Languauge in the Eighth Schedule to the Constitution

Shri Nihal Chand Chouhan 885

(x) Need to put Sri Krishna Janam Bhoomi outside the ambit of Places of Worship Act, 1991

Shri Krishnapalsingh Yadav 886

(xi) Regarding release of water for Maharashtra as per award of NWDP

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 887-888

(xii) Regarding Farmers protest

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 888

(xiii) Need to provide stoppage of trains at Barwadih, Latehar and Chhipadohar Railway Stations in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 889

(xiv) Regarding reopening window of Awas + Mobile App for one more month in Odisha

Shri Chandra Sekhar Sahu 890

(xv) Regarding withdrawal of money by depositors from RCBL

Shri Girish Bhalchandra Bapat 892-893

(xvi) Regarding developments in Gaya and Aurangabad districts in Bihar under Aspirational Districts Programme

Shri Sushil Kumar Singh 893-894

(xvii) Need to construct a railway line between Tarapur and Arnej

Shri Mitesh Patel (Bakabhai) 894-895

(xviii) Regarding enhancing construction cost for constructing homes under Prime Minister Awas Yojana

Kumari Goddeti Madhavi 896

(xix) Need to revive the Rajendra Kushth Sewa Ashram, Siwan in Bihar

Shrimati Kavita Singh 897

(xx) Regarding issue of notification regulating the use of RO Purifier

Shri Jayadev Galla 899-900

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 27, 2021/Sravana 5, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक संसद सदस्य हैं। जब मैं किसी चीज के बारे में मेंशन कर रहा हूं, तो आप अपनी सीट पर बैठ जाया कीजिए। आप इन तरीकों को सुधारिए। ये तरीके ठीक नहीं हैं।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को दो महान अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों के निधन के संबंध में सूचित करना है।

श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ हमारे मित्र देश मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे छः बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री भी रहे। वे भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य शिल्पकार थे। द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित किया था। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 3 जून, 2021 को मॉरीशस में हुआ।

डॉ. केनेथ डेविड बुचिजिया कौन्डा ज़ाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे सन् 1964 से सन् 1991 तक ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। ज़ाम्बिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी जी से विशेष प्रेरणा ली थी। उनका भारत से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत की अनेकों बार यात्राएं भी की थीं। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून, 2021 को लुसाका, ज़ाम्बिया में हुआ।

यह सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ऊँ शान्ति**:** शान्ति**:** शान्ति**:**॥

… (व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : यहां पर सभी मिनिस्टर्स बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं। …(व्यवधान) यहां पर सारे मंत्री बैठे हुए हैं। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, यहां पर सभी मंत्री बैठे हैं, क्या वे आपको नहीं दिख रहे हैं? …(व्यवधान) आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आप तख्तियां लगाकर उनको भाषण नहीं देने दे रहे हैं, उनको वक्तव्य नहीं देने दे रहे हैं। …(व्यवधान) आप लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण**,** अगर आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं**,** संवाद करना चाहते हैं**,** अपनी बात कहना चाहते हैं**,** अपनी वेदना कहना चाहते हैं**,** तो मैं आप सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीटों पर विराजें। आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, आप अपनी सीटों पर जाइए, मैं सरकार से बात करूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए, सामूहिक रूप से मिलिए। लेकिन सदन की कार्यवाही चले, सदन बाधित न हो, मेरा आप सभी से ऐसा आग्रह और निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए, ताकि हम हमारे मुद्दों और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाकर उनकी परेशानियों और तकलीफों को दूर कर सकें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 101, श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)

… (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर।

(Q. 101)

श्री विनोद कुमार सोनकर: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत विस्तार से दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसान जानकारी के अभाव में कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है, चूँकि कीटनाशक बहुत महंगे भी होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत अधिक क्षेत्र में बंजर हो जाती है।… (व्यवधान) साथ ही साथ कीटनाशक का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से भूगर्भित जल भी दूषित होता है। हम लोग किसान हैं। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में सरकार बनी थी तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने देश के किसानों की कृषि लागत को घटाने के लिए, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित ना हो, उसके लिए वर्ष 2014-15 में 'किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना' की शुरूआत की थी। (व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014-15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने थे, जिसके कारण से हम किसानों की कृषि भूमि के बारे में ठीक से जानकारी ले पाए कि किस कृषि भूमि में किसकी आवश्यकता है। किस कीटनाशक की कितनी आवयकता है और कितनी फसल हो सकती है?… (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 'किसान सॉइल हेल्थ कार्ड' बनने के बाद क्या देश में कीटनाशक का उपयोग घटा है?… (व्यवधान) क्या इसको लेकर कोई अध्ययन कराया गया है या अध्ययन कराने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा 'किसान सॉइल हेल्थ कार्ड' बन चुके हैं?… (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित प्रश्न किया है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का और उनको कार्ड पहुंचाने का काम किया है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड दो फेज़ में किसानों तक पहुंचे हैं। पहले फेज़ में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज़ के अन्दर लगभग 11 करोड़ 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसानों के पास जो सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचे हैं, उनकी वजह से हमारे पास पूरे देश का डेटाबेस आ गया है कि किसान के पास कौन सी जमीन है और उसकी वजह से हमने आने वाले समय के लिए प्लानिंग भी की है।… (व्यवधान)

दूसरा, इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसके साथ ही आई.सी.ए.आर. के द्वारा एक स्टडी भी की गई थी और स्टडी से यह ज्ञात हुआ कि अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए। इससे किसान जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, उसका ही उपयोग करेगा।… (व्यवधान) इस तरह से उसकी स्टडी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अगर वह इस आधार पर खेती करता है तो लगभग 15 से 20 प्रतिशत उर्वरकों की खपत कम हो सकती है। इसके साथ ही उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।… (व्यवधान) इस तरह से किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की

योजना बनी है। इसकी स्टडी भी की गई है। अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है और उसमें जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, उसी को लेकर खेती करता है तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही उस समय हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए ट्रेनिंग भी आयोजित की थी। उसके तहत लगभग 1,946 किसानों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ ही हमने 5 लाख 50 हजार फील्ड डेमोंस्ट्रेशन भी किया था।... (व्यवधान) हमने 7,425 फार्मर मेले भी आयोजित किए थे। किसानों के लिए गांवों में एक लैब स्थापित होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने लगभग 1532 गांवों में लैबोरेटरी के लिए 5 लाख रुपये एवेलेबल करवाए हैं। उसके तहत 1 लाख रुपये लैबोरेटरी स्थापित करने के लिए और बाकी 4 लाख रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से मिले हैं। आज किसान देश में जितने भी कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, वहां सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। आई.सी.ए.आर. के हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी टेस्टिंग हो सकती है। ... (व्यवधान) हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट की हों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी टेस्टिंग हो सकती है। ... (व्यवधान) इसकी वजह से आज भी किसान आकर कहते हैं कि इस टेस्टिंग की वजह से उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि आपने जिस विषय पर यह प्रश्न किया है, उसकी वजह से निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है।... (व्यवधान)

श्री भोला सिंह: धन्यवाद**,** अध्यक्ष जी।

आदरणीय अध्यक्ष जी**,** एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज सदन के सामने आया है और माननीय मंत्री जी ने इसका विस्तृत जवाब दिया है। **...** (व्यवधान) मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा**,** जिनके नेतृत्व में देश के किसानों को जैविक खेती की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग ऐसे हैं, जो खाद और बीज के विक्रेता हैं, वे कुछ खतरनाक कीटनाशक किसानों को अनिवार्य रूप से देते हैं, जिनका दुष्प्रभाव फसलों पर पड़ता है। खासकर जो एन.सी.आर. है, मैं बुलंदशहर से आता हूं और बुलंदशहर एन.सी.आर. में है, वहां पर सब्जियों का ज्यादा उत्पादन होता है।**…** **(व्यवधान)** सब्जियों को जल्दी बढ़ाने के लिए उनमें घटिया किस्म के कीटनाशक उपयोग करते हैं और कुछ दुकानदार उनको जबर्दस्ती उसे देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे दुकानदारों पर किस तरीके से कार्रवाई करने की सरकार की योजना है? **… (व्यवधान)**

दूसरा, सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, उसमें कितने किसानों का जैविक खेती का डेटा अभी तक सरकार के पास आया है? **… (व्यवधान)**

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है और इस तरह से नकली पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने पर किस तरह से कार्रवाई होती है, मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के इंसपेक्टर्स होते हैं।**… (व्यवधान)** वे इंसपेक्टर्स वहां जाकर रेड करते हैं और अगर ऐसी कोई चीजे संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है और कानून में प्रावधान भी है।**… (व्यवधान)** आने वाले समय में, इस बारे में दो अन्य कानून हैं, जिनको राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और वे हमारी कमेटी के पास हैं। … (व्यवधान)

आपने दूसरे विषय के रूप में जैविक खेती का जिक्र किया है। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में अलग से प्रावधान किया। **… (व्यवधान)** इसके लिए हमारा एक राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम है और परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत भी इस पर काम होता है।**… (व्यवधान)** इसके साथ ही, 'नमामि गंगे' के तहत गंगा के किनारे जैविक खेती को

बढ़ावा देने के लिए ज़ोन्स घोषित किए गए हैं, जिनमें गंगा के किनारे पांच किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जैविक खेती होती है। ... (व्यवधान) इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक कृषि योजना के तहत भी इस कार्यक्रम को लिया गया है। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, उनको भी आर्गेनिक ज़ोन के तहत, कुछ स्थानों को चिन्हित करके यह काम किया जा रहा है।... (व्यवधान) आज देश के अंदर लगभग **38** लाख हेक्टेयर के अंदर आर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगर किसान एक ग्रुप के अंदर जैविक खेती करते हैं, अगर वे दस किसानों तक का एक ग्रुप बनाकर जैविक खेती करते हैं और उनके पास कम से कम 20 हेक्टेयर जमीन होती है, तो सरकार द्वारा किसान को 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।... (व्यवधान) इसमें से 31 हजार रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में डाले जाते हैं। तीन साल के लिए यह प्रावधान है और बाकी 19 हजार रुपये उनको अलग-अलग ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसान जैविक खेती की ओर जाएं और जो पेस्टिसाइड्स की बड़ी समस्या हैं, उसका समाधान हो सके। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए विशेष बजट देकर और हमने इसके लिए अलग से कार्यक्रम लेकर तथा किसानों को ट्रेनिंग देकर काम को आगे बढ़ाया है।

(Q. 102)

डॉ. आलोक कुमार सुमन: अध्यक्ष महोदय**,** मैं विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के लिए मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं एवं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरा एक ही सप्लिमेंट्री प्रश्न है कि गोपालगंज में पीएमएफएमई के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के बारे में बताया जाए और गोपालगंज से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं**,** उनके बारे में स्थिति बताई जाए। धन्वाद।… (व्यवधान)

श्री पशुपति कुमार पारस : अध्यक्ष महोदय, 38 जिलों में 35 उत्पादों की पहचान 'एक जिला, एक उत्पाद' के रूप में की गई है।…(व्यवधान) गोपालगंज में 68 सूक्ष्म तथा 2 समूह उद्योग इकाई इस वर्ष लगाने का लक्ष्य है।…(व्यवधान) गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन का आवेदक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जवाब दिया गया है।…(व्यवधान) 'एक जिला, एक उत्पाद' के तहत गोपालगंज को पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा पर चयन किया गया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** सेकेंड क्वेश्चन।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. आलोक कुमार सुमन: अध्यक्ष महोदय**,** मैं माननीय मंत्री जी से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गोपालगंज में पीएमएफएमई के अंतर्गत कितनी इकाइयां हैं एवं गोपालगंज से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है**,** तो उसके बारे में बताया जाए।… (व्यवधान)

श्री पशुपति कुमार पारस : अध्यक्ष महोदय, पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा का चयन किया गया है। गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किया गया है।… (व्यवधान) एक आवेदन पत्र।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ आई है। माननीय सदस्य महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप भी अपने-अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहां रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नारेबाजी और तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुन कर यहां नहीं भेजा है। आप सभी अपनी जगह पर जाइए। देश में बाढ़ पर चर्चा हो रही है।

… (व्यवधान)

(Q. 103)

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर : अध्यक्ष महोदय**,** मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद और पूरे मराठवाड़ा में 14-15 अक्टूबर**,** 2020 को बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई थी।…(व्यवधान) जिसकी वजह से वहां के किसानों के पशुओं, खेती और फसलों का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था।…(व्यवधान)

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 14-15 अक्टूबर, 2020 को बारिश होने के बाद केन्द्र से जो एक डेलिगेशन वहां पर सर्वे करने के लिए गया था। लगभग ढाई महीने बाद यानी 21 दिसम्बर, 2020 को वह टीम गई थी।…(व्यवधान) मैंने खुद चुनाव क्षेत्र में जाकर देखा है कि किसानों का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था, तो उस टीम ने जो सर्वे किया था, उस सर्वे में वहां का नुकसान कितना प्रतिशत बताया गया है? मंत्री जी, कृपया इसका जवाब दें।…(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय जी**,** जैसा कि इन्होंने अपने क्षेत्र के नुकसान के बारे में जिक्र किया है।…(व्यवधान) भारत सरकार की योजना के तहत नुकसान होने पर फसल बीमा योजना के तहत वहां की राज्य सरकार से गिरदावरी की जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर उनको क्लेम दिया जाता है।…(व्यवधान) दूसरा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार की टीम वहां गई और वहां जो नुकसान हुआ, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो टीम वहां पर गई और उस टीम ने वहां का जो आकलन किया, उसके आधार पर हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी होते हैं, उन्होंने इसका फैसला करते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को एनडीआरएफ फंड से पैसे उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।…(व्यवधान)

वहीं राजस्थान में 113.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कर्नाटक के लिए भी 729.3 करोड़ रुपए एनडीआरएफ फण्ड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।… (व्यवधान)

इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष इस प्रकार से आज किसानों के इतने महत्त्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हंगामा करके देश को क्या दिखाना चाहता है? … (व्यवधान) एक तरफ प्रधानमंत्री जी चिन्ता कर रहे हैं कि देश के किसानों की इनकम बढ़े, किसानों की इनकम डबल हो, वहीं कृषि के इतने महत्त्वपूर्ण कानून बने हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप संक्षेप में उत्तर दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : जहाँ उत्पादन के कार्य की चिन्ता की जा रही है, वहीं ये लोग जिस तरह से हंगामा करके देश को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ये सब देश के सामने है।… (व्यवधान)

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने आपको नुकसान का जो ज्ञापन सौंपा था, एनडीआरएफ से जो मदद माँगी थी, वह लगभग 3,721 करोड़ रुपए की थी। बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से यह जो मदद माँगी गई थी, वह एकदम वाज़िब थी। इसके बाद भी सरकार ने उत्तर में केवल यह कहा है कि 701 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ पर एलाऊ किया है।**… (व्यवधान)** माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि 3,721 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद केवल 701 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, ऐसा उत्तर में कहा है, लेकिन अब तक 701 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार को नहीं मिले हैं।**… (व्यवधान)** इसलिए मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि 3,721 करोड़ रुपए के नुकसान के अगेंस्ट केवल 701 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, ज्यादा धनराशि क्यों नहीं दी गई?**… (व्यवधान)** दूसरा प्रश्न यह है कि आप जो 701 करोड़ रुपए बता रहे हैं, वह भी अभी तक क्यों नहीं पहुँची है?**… (व्यवधान)**

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता अपने क्षेत्र और राज्य की दृष्टि से वाज़िब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की नैचुरल क्लैमिटी होती है, तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है, एक तो केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है, किसानी का जो नुकसान होता है, वह फसल बीमा योजना के तहत कवर होता है और किसानी तथा अन्य प्रकार के जो नुकसान होते हैं, वे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत कवर होते हैं।... (व्यवधान)

जब महाराष्ट्र में क्लैमिटी आई तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा मिला और नैचुरल क्लैमिटी आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो ज्ञापन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया, तो केन्द्र सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयिक समिति बनाई, उस समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रवास किया और प्रवास करने के बाद उस समिति ने अपनी अनुशंसा की।... (व्यवधान) अनुशंसा करने के बाद जब वह गृह मंत्री जी के पास आई, तो गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।

इसके साथ ही साथ, आप देखेंगे तो खरीफ के लिए वर्ष 2020-21 और रबी के लिए वर्ष 2021 के दौरान महाराष्ट्र में 67.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें 11.43 लाख किसानों ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए का किसानों को लाभ दिया गया है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आज की कार्य-सूची में गाँव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा के लिए हैं।... (व्यवधान) अगर विपक्षी सदस्य किसानों के प्रति थोड़ा-सा भी दर्द रखते हैं, यदि वे किसानों के

प्रति थोड़ी-सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बनाकर अपने स्थानों पर बैठना चाहिए, इन प्रश्नों के माध्यम से उन्हें अपने विषय रखने चाहिए, उनको सरकार का जवाब सुनना चाहिए।... **(व्यवधान)** इस प्रकार से जो हो-हल्ला हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है, वह भी दृष्टिगोचर हो रहा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कम्पीटिशन मत कीजिए, बल्कि जनता की समस्याओं को सदन में बोलने के लिए कम्पीटिशन करो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी में कम्पीटिशन कर रहे हैं। इसे जनता देख रही है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए कम्पीटिशन कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.26 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

11.45 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या-104, श्री रामदास तडस जी।

… (व्यवधान)

11.45 ½ hrs

At this stage S/Shri Hibi Eden, Bhagwant Mann, Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(Q. 104)

श्री रामदास तडस: महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के चयन की प्रक्रिया के विवरण प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (तीन) के गाइडलाइन 2019 में दिए गए हैं। पीएमजीएसवाई (तीन) के दिशा-निर्देश के अनुसार सड़क चयन प्रक्रिया के मापदंड पूर्ण न होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर लंबित हो जाते हैं। … (व्यवधान) जनता की भारी मांग के बावजूद अनेक प्रस्ताव केवल मापदंड पूर्ण न होने के कारण चयनित नहीं हो पाते हैं।… (व्यवधान) ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सरकार की क्या योजना है? … (व्यवधान) सभी माननीय संसद सदस्य के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या केंद्र सरकार इन मानदंडों में रियायत देने हेतु गाइडलाइन 2019 में बदलाव करने के लिए उचित कार्यवाही करेगी? धन्यवाद। … (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): सरकार का उद्देश्य उन गांवों को जोड़ने का है, जिन गांवों के रास्ते में या तो अस्पताल पड़ रहा हो या कोई विद्यालय पड़ रहा हो। ऐसी सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए वर्ष 2019 में थ्री फेजलाइन शुरू की गई थी। … (व्यवधान) केंद्र में एक लाख 19 हजार किलोमीटर प्रमुख ग्रामीण लिंक रूट, 80 हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अवधि मार्च, 2025 तक के लिए निर्धारित की गई है। … (व्यवधान) माननीय सदस्य का प्रश्न जायज है।… (व्यवधान) उन्होंने महाराष्ट्र के संबंध में प्रश्न पूछा है कि वहां की सड़कें छोड़ी गई हैं। … (व्यवधान) मैं उनको बताना चाहती हूं कि सर्वे करना, उनकी लागत तय करना प्रदेश सरकार का कार्य होता है। प्रदेश सरकार हमारे मानक के अनुसार भेजे तो हम उसे करने के लिए बाध्य होते हैं और करते भी हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसानों से संबंधित, गांवों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस चर्चा में शामिल हों और अपनी बातें रखें।

… (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 105 to 120

Unstarred Question Nos. 1151 to 1380)

(Page No. 39 to 863)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

<u>12.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

… (<u>व्यवधान</u>)

<u>12.01 hrs</u>

At this stage, Prof. Sougata Ray, Shri Hanuman Beniwal, Shri Hibi Eden, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण**,** कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (<u>व्यवधान</u>)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर दो से नौ - श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं संविधान की धारा 323 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के 70वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) प्रतिवेदन के अध्याय नौ में प्रतिवेदित मामलों के संबंध में आयोग की सलाह को स्वीकार न करने के कारण दर्शाने वाला ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4371/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) तीसरा संशोधन विनियमन, 2021 जो 4 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4372/17/21]

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4373/17/21]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन को हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3776 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन को हटाना (संशोधन) आदेश, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2674 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4374/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4375/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4376/17/21]

(3) राष्ट्रीय जांच अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच अभिकरण मंत्रालयी संवर्ग समूह 'ख' पद (वरिष्ठ निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 'I' और लेखाकार) भर्ती नियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 391 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4377/17/21]

(4) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (सजा और अपील) (संशोधन) नियम, 2020 जो 4 मार्च, 2020 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 16/01/2019/एचपी-एक/स्था./6113 से 6118 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4378/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, सुश्री शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4379/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4380/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय**,** श्री कैलाश चौधरी जी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4381/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4382/17/21]

(5) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4383/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री अजय कुमार जी की ओर से, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास और उसके प्रगामी प्रयोग को संवर्धित करने और उसके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के बारे में 51वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4384/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी की ओर से, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. मानक/एसपी-15/टी[टी(आईएमएसटी)] में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4385/17/21]

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statement

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I rise to lay on the table the Statement (Hindi and English versions) showing Further Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fourth Report of the Committee on External Affairs on the replies to the Observations/ Recommendations contained in the Twenty-third Report on the subject 'Issues relating to migrant workers including appropriate legislative framework and skill development initiatives for prospective emigrants'.

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

308th Report

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का "एमएसएमई क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव और इसका सामना करने के लिए अपनायी गयी उपशमन रणनीति" विषय संबंधी 308वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
295th Report

SHRI RAMESH CHANDRA MAJHI (NABARANGPUR): Sir, I rise to lay on the Table the Two Hundred Ninety-fifth Report (Hindi and English versions) on 'Potential of Tourist Spots in the country – Connectivity and Outreach' of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं पुन: अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं। सदन की कार्यवाही चलने दें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके अपने विषय हैं, आप उन्हें उठाएं। अन्य माननीय सदस्यों को भी विषय उठाने दें। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार तैयार है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats. Please cooperate.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बारह बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

… (व्यवधान)

12.30 ½ hrs

At this stage, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Shri Anto Antony, Shri M. Selvaraj and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया कर के बैठ जाइए। शून्य प्रहर में बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जिनको माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं। लोक कल्याण से संबंधित विषय हैं। क्षेत्र से संबंधित विषय हैं। किसानों से संबंधित विषय हैं। बाढ़ से संबंधित विषय हैं। कृपया आप सब अपनी सीट्स पर जाएं। आप सहयोग कीजिए। आप भी अपने विषय उठाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मेघवाल जी कुछ कह रहे हैं।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, बहुत से सांसदों ने मुझ से भी निवेदन किया है कि जीरो ऑवर चलना चाहिए। … (व्यवधान) जीरो ऑवर में ये सारे विषय उठा सकते हैं। … (व्यवधान) विपक्षी सांसद भी जो विषय उठाना चाहते हैं, जीरो ऑवर्स में उठा सकते हैं। … (व्यवधान) इसलिए हमारा अनुरोध है कि जीरो ऑवर चलना चाहिए। … (व्यवधान) आप भी अपील करें और जीरो ऑवर चलने दें। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ कि जीरो ऑवर चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जिनको आप भी उठाना चाहते हैं। अन्य माननीय सदस्य भी अपने विषय उठाना चाहते हैं। प्लीज़ जीरो ऑवर चलने दें। विषयों को आने दें। सरकार प्रत्येक प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate. कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.34 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

14.0 ½ hrs

At this stage Shri Benny Behanan, Sushri Mahua Moitra, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

14.01hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now, we take up matters under rule 377.

(i) Regarding powers of Gram Sarpanch in Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): महोदय, भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को समृद्ध कर ग्रामीण विकास को महत्व देते हुए ग्राम पंचायतों को पूर्ण सक्षम बनाया है।… (व्यवधान) लेकिन, राजस्थान प्रांत में 73वें संशोधन के प्रावधानों की अनुपालना नहीं हो रही है।… (व्यवधान) सरपंच लोग किसी भी प्रकार के अपने पंचायत के विकास कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।… (व्यवधान) मनरेगा के कार्यों के अनुमोदन भी विधायकों की इच्छा से होता है।… (व्यवधान)

अत: सदन के माध्यम से निवेदन है कि ग्राम सरपंचों को उनकी पंचायत में कार्य करने के लिए स्वतंत्र किया जाए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री मितेश पटेल (बकाभाई) - उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

(ii) Regarding cultural tourism in Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar, which falls under Santhal Pargana region, is a unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of the Dwadash Jyotirlingas in the country. This is a religious and cultural capital of Eastern India which catapults the holy place to an international level and is visited by over five crore pilgrims every year. Other prominent personalities associated with the place like Guru Rabindranath Tagore wanted to set up Shantiniketan here. Mahatma Gandhi in his biography mentioned this place as his ashram. Maharishi Arvind shifted to Puducherry from here only. This place is also the birth place of well-known social reformer Late Ishwar Chandra Vidyasagar. The potential for cultural tourism of Deoghar in Jharkhand is still insufficiently researched and poorly utilized. The State as a whole is not valued as a cultural treasure. This often results in the neglect of the State's hidden cultural treasures. Deoghar as a cultural centre will conceptualize the aim of projecting cultural kinship which transcends territorial boundaries. The idea is to show how these local cultures merge into the diversity of India's composite culture.

(iii) Regarding upliftment of SCs/STs

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां हजारों वर्षों से भारत के सर्वाधिक वंचित वर्गों में से एक हैं।... (व्यवधान) देश को आज़ादी मिलने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने वंचित वर्गों को सभी प्रकार के भेदभाव से छुटकारा दिलाने हेतु संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया।... (व्यवधान) उन्होंने शिक्षा तथा नौकरियों में वंचित वर्गों को आरक्षण देने हेतु संवैधानिक प्रावधान किए परन्तु सरकार द्वारा अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बावजूद अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अभावों एवं गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं।... (व्यवधान) अब जब हमारा देश अगले वर्ष में अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में उपरोक्त वंचित वर्गों को देश के विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु तत्काल ठोस एवं सार्थक कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है तथा यही हमारे प्रधान मंत्री तथा देश की कोटि-कोटि जनता की प्रेरणा एवं आशाओं के केन्द्र बिन्दु प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की भी यही इच्छा है।... (व्यवधान) ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त वंचित जातियों के आंगन तक खुशहाली पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी को और पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : I would request hon. Members to please go back to their seats.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: These are important issues, which are being raised by individual Members.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Party Members are also listed in this List to read out the Matters under Rule 377.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: These are very important issues. Please go back to your seats and allow the Matters under Rule 377 at least to be on record.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>**14.06 hrs**</u>

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

*(*Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair)*

… (व्यवधान)

14.30 ½ hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Anto Antony and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

14.31 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 … Contd.

माननीय सभापति : श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा।

… (व्यवधान)

(iv) Need to expedite payment of export subsidy to sugar mills in Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, का ध्यान चीनी मिलों को निर्यात पर मिलने वाली विशेष सब्सिडी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र, बारदौली सहित गुजरात की ज्यादातर चीनी मिलों को 2019-20 और 2020-21 की चीनी निर्यात पर मिलने वाली सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। कोरोना महामारी के कारण महीनों तक चीनी मिलें बंद रहने के कारण उन्हें पहले ही अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निर्यात सब्सिडी न मिलने के कारण उन्हें किसानों को गन्ना खरीद का भुगतान

सहित अन्य कई प्रकार के भुगतान करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण किसानों को उनके गन्ना आपूर्ति के भुगतान में भी दिक्कतें आ रही हैं, इस दृष्टि से यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। अत: अतिशीघ्र चीनी मिलों को बकाया निर्यात सब्सिडी का भुगतान कराया जाए।

… (व्यवधान)

(v) Need to ensure purchase of 'Chana Harbhara' by NAFED in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री रामदास तडस (वर्धा): महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में आने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा लोक सभा के अंतर्गत, चना-हरभरा की खरीदी नाफेड के माध्यम से बंद होने के कारण किसान आज संकट में हैं। बरसात के मौसम में हजारों टन चना-हरभरा विविध बाजार मंडियों में खुला पड़ा है। अचानक खरीदी बंद होने की वजह से खुले में पड़ा चना-हरभरा खराब होने की आशंका है। सदन के माध्यम से मेरा केंद्रीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र, विदर्भ के चना-हरभरा किसानों का हित ध्यान में रखकर, नाफेड के माध्यम से चना-हरभरा की खरीदी पुन: प्रारंभ करने हेतु नाफेड के संबंधित अधिकारी वर्ग को आदेश जारी करने की कृपा करें।

… (व्यवधान)

(vi) Need to prohibit web series on internet depicting objectionable content

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): महोदय, इस कोरोना काल में जब सिनेमा हाल, थियेटर आदि सब बंद हैं तो इंटरनेट पर वेब सीरीज धमाल मचाये हुए हैं, जिसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये वेब सीरीज अच्छे कार्यक्रम न दिखाकर भोगवादी, व्यभिचारवादी, भारतीय संस्कृति पर आघात करने वाले एवं जिन्हें परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ कर नहीं देख सकते हैं, कार्यक्रम दिखा रहे हैं ; इनमें से ए एल टी बाला जी, उल्लू, नेट फ्लिक्स, एमेजोन प्राइम आदि इंटरनेट चैनलों पर बहुत फूहड़, गाली-गलौज वाली वेब सीरीज बनती हैं, कृपया इन्हें बंद कराने का कष्ट करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुकेश राजपूत जी**,** जो टैक्स्ट अप्रूव हुआ है**,** वही पढ़िए। बाकी चीज रिकार्ड में नहीं जाएगी।

… (व्यवधान) …*

* Not recorded.

(vii) Regarding religious conversion of Adivasi people in Sukma district of Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): छत्तीसगढ़ प्रांत के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सुकमा सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहा धर्मांतरण एक गंभीर विषय है। उल्लेखनीय है कि सुकमा जिले में आदिवासियों के धर्मांतरण होने पर पुलिस अधीक्षक की **स्वी**कारोक्ति एवं सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों के परस्पर विरुद्ध बयान अत्यन्त गंभीर व चिंताजनक हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण की स्थिति केवल सुकमा जिले में ही नहीं, कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा धर्मांतरण के पक्ष में दिये गये बयान आदिवासियों की मूल संस्कृति, अस्तित्व एवं अस्मिता की अक्षुणता को बनाये रखने में सहयोगपूर्ण नहीं हैं।

अत: सरकार से गुजारिश है कि इस संवेदनशील मामले पर त्वरित हस्तक्षेप करने हेतु निर्देशित करने की महान कृपा की जाए।

माननीय सभापति : श्री बसंत कुमार पंडा ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्रीमती रीती पाठक

... (व्यवधान)

(viii) Need to start Singrauli – Jabalpur intercity railway service

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सभापति महोदय, सिंगरौली से जबलपुर स्वीकृत इंटर सिटी रेल यथाशीघ्र चलाने की कृपा की जाए। … (व्यवधान) … *

(ix) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से काफी समय से की जा रही है। … (व्यवधान) माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, तीनों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों हमें आकार, आधार और अस्तित्व प्रदान करती हैं। किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को सहेजने में वहां की भाषा की अहम भूमिका होती है। बिना मातृभाषा के मौलिक चिंतन संभव नहीं है। … (व्यवधान) यह चिंताजनक है कि सम्पूर्ण तत्वों और लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये प्राचीन राजस्थानी भाषा आज तक बस अपने अस्तित्व की ही तलाश कर रही है। … (व्यवधान) मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

* Not recorded.

(x) Need to put Sri Krishna Janam Bhoomi outside the ambit of Places of Worship Act, 1991

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): सभापति महोदय, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून से श्रीकृष्ण जन्मभूमि को जैसे अनावश्यक कानूनी बंधनों से मुक्त कराया जाना चाहिए ताकि सभी हिन्दू व विश्व भर के कृष्ण-प्रेमियों के लिए भक्ति भाव का केन्द्र बन सके।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कृष्णपाल जी, जितना एप्रूव हुआ है उतना ही रिकार्ड पर जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा।

… (व्यवधान) … *

माननीय सभापति: आप लोगों से पुन: विनती है कि आप अपने-अपने सीट्स पर जाइए, हम आपका नाम पुकारेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.37 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

---

* Not recorded.

15.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.
(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (व्यवधान)

15.0 ½ hrs

At this stage, S/Shri Kalyan Banerjee, Bhagwant Mann, Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

15.01 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 – Contd.

(xi) Regarding release of water for Maharashtra as per award of NWDP

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): My Constituency of Nandurbar is located on the banks of River Narmada along with Sardar Sarovar project which is one of the largest water resources project in India covering four major states - Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. As per the award of NWDP in 1979, Maharashtra is entitled to a share of 0.25 MAF (10.89 TMC) from this project for irrigation and drinking purposes. However, Maharashtra and particularly Nandurbar is not receiving the designated share of water which has resulted in scarcity of water for irrigation facilities and human consumption. I urge the Government to take necessary steps for releasing the sanctioned share

of 10.89 TMC of water for Maharashtra and particularly Nandurbar in order to provide proper flow of water for irrigation and human consumption which will facilitate in achieving the dream of our Prime Minister of doubling farmers income by 2022 and aid prosperity and socio-economic development of the people of my constituency through water security.

(xii) Regarding farmers protest

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): सभापति महोदय, किसान नेताओं को कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दिया जाना कोविड अनुरूप व्यवहार के अनुकूल नहीं है। झूठ और भ्रम के आधार पर चलाया जा रहा यह आंदोलन जनहित में नहीं है। हाल ही में संपन्न हुई अनाज की सरकारी खरीद में 18% रिकॉर्ड की वृद्धि हुई है। किसान अपने खेतों में पसीना बहाकर फसल का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वे कौन से लोग हैं जो हाईवे रोक कर जनता के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं? वे किसान नहीं हो सकते। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर कांवड यात्रा पर रोक लगा रहे हैं, प्रमुख त्यौहार ईद पर भी न्यायालय की नजर है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथाकथित किसान आंदोलन न्यायपालिका के संज्ञान में नहीं आया है।

सरकार को चाहिए कि स्वयं को किसानों का हितैषी बनाने वाले तथाकथित किसान नेताओं से सख्ती से पेश आए।

(xiii) Need to provide stoppage of trains at Barwadih, Latehar and Chhipadohar Railway Stations in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में बरवाडीह रेलवे जंक्शन है तथा लातेहार जिला मुख्यालय का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर रेल गाड़ियों का पहले ठहराव होता था, परन्तु अब इन स्टेशनों पर ठहराव नहीं दिया गया है। इन स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव के लिए मेरे द्वारा रेलवे को कई बार पत्र लिखे गए हैं। साथ ही क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, नागरिकों व सामाजिक संगठनों द्वारा बार-बार रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है। रेलवे द्वारा इन तीनों स्टेशनों से छोटे व कम राजस्व वाले स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव दिया जा रहा है परन्तु इन स्टेशनों पर ठहराव नहीं दिया जा रहा है।

अत: मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि बरवाडीह, लातेहार एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों पर गाड़ी संख्या 02583/02584, 08311/08312, 01447/01448 एवं 08635/08636 आदि गाड़ियों का ठहराव पुन: शीघ्र चालू किया जाए।

(xiv) Regarding reopening window of Awaas + Mobile App for one more month in Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): A large number of poor and tribal people in western and southern regions have not been able to register themselves in the Pradhan Mantri Aawas Yojana (Gramin) when the window of Aawas software was open. Though the Government have opened window in two phases till March 2019, our hon. Chief Minister has requested the hon. Prime Minister to re-open the window of Aawas + Mobile App for the entire State for a period of one more month to migrate the data of identified eligible households to Aawas + Mobile App, which will be a pragmatic step towards achieving the objective of "safe housing for all".

Sir, through you, I would request the hon. Prime Minister and the Minister of Rural Development to consider the request of my State, Odisha, sympathetically and reopen the window of Awaas+ mobile App for one more month.

माननीय सभापति: आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपकी पार्टी के मेम्बर्स ने नियम- 377 का नोटिस दे रखा है। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए और उनको बोलने के लिए मौका दीजिए। आपसे बार-बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (व्यवधान)

15.30 ½ hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Hanuman Beniwal, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

15.31 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 …Contd.

माननीय सभापति : श्री गिरीश भालचन्द्र बापट जी।

… (व्यवधान)

(xv) Regarding withdrawal of money by depositors from RCBL

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Hon. Chairperson, Sir, through you, I would like to raise the matter regarding merger of the Rupee Co-operative Bank Limited (RCBL). … (*Interruptions*)

RCBL, a 108 years old co-operative bank, was established with the inspiration of Lokmanya Tilak as a drive for Swadeshi Movement.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please read the matter that has been approved.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please read the matter that has been approved.

… (*Interruptions*)

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT: The Bank is having a network of 35 branches with the strength of around 5 lakh depositors having deposits of Rs. 1296 crore. The Bank has been earning an Operating Profit continuously for the last five years in a row totalling to Rs. 70.82 crore and has effected total recovery of Rs. 263.40 crore. By taking stringent measures against defaulters, it has attached properties of former delinquent Directors and Executives of the Bank. In

spite of all restrictions, it has given withdrawals of Rs. 371 crore under Hardship Scheme of RBI to 93,700 depositors. The Bank is under all-inclusive directions of the Reserve Bank since February 2013. As such, the depositors are not getting their hard-earned money since 2020.

माननीय सभापति : आपने लिखित रूप से जो टेक्स्ट दिया है, केवल वही रिकार्ड में जाएगा।

… (व्यवधान)

(xvi) Regarding developments in Gaya and Aurangabad districts in Bihar under Aspirational Districts Programme

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय**,** मेरा संसदीय क्षेत्र, औरंगाबाद दक्षिण बिहार के दो जिले गया और औरंगाबाद है। देश के सम्यक विकास के लिए ऐसे पिछड़े जिलों को विकसित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी उन्नत सोच के तहत देश भर से 115 जिलों का चयन किया गया, जिसे आकांक्षावान जिलों का नाम दिया गया। सरकारी उपेक्षा के शिकार दोनों जिले नक्सल प्रभावित एवं औद्योगिक शून्यता के आभाव में आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। विगत एक दशक से कम समय में केन्द्र के अथक सरकारी प्रयासों से इन जिलों ने विकास के नए आयाम चूमे हैं, तथापि प्रयासों में निरन्तरता एवं गति में शिथिलता एवं कई मामलों में नियमों की तकनीकी बाध्यता विकास की राह में अवरोध बनती है, इन्हें दूर किया जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ LWE के तहत सड़क निर्माण के प्रावधान के साथ ही, समपार, छोटे पुल अथवा जल धारा पर छोटी पुलिया के निर्माण की स्वीकृति का अधिकार भी सक्षम पदाधिकारी को होना

चाहिए, जो स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि की राय से किया जाना चाहिए। इन सरल उपबंधों के अभाव में विकास अवरुद्ध होता है। यद्यपि सभी आकांक्षी जिलों में द्रुतगामी सड़क परिवहन एवं बेहतर संपर्क से अपेक्षाकृत बेहतर विकास हुआ है, तथापि बेहतर शैक्षिक विकास अवसरों के अभाव में आर्थिक विकास अपेक्षित गति नहीं पा रहा।

उदाहरणार्थ औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु मैंने रा.रा.मार्ग पर अपनी 20 एकड़ जमीन कॉलेज हेतु देने की पेशकश लिखित रूप से सरकार से की। किन्तु सरकारी उदासीनता एवं केन्द्रीय मानदंड इसमें बाधक हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए तथा ऐसे मामलों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में सरकारी भागीदारी से शैक्षणिक संस्थानों को अविलंब स्वीकृति मिलनी चाहिए, जिससे आकांक्षी जिलों के विस्तार को नया आयाम और समानान्तर आर्थिक विकास संभव हो सके। … (व्यवधान)

(xvii) Need to construct a railway line between Tarapur and Arnej

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद) : सभापति महोदय, अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील में श्री बूट भवानी माता का ऐतिहासिक शक्तिपीठ मंदिर अरनेज गांव में स्थित है। इस शक्तिपीठ पर माता के दर्शन हेतु गुजरात और दूसरे अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु एवं साधु संत आते रहते हैं। यहाँ की जनता की यह वर्षों से मांग रही है कि मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित तारापुर और अरनेज के बीच रेल लाइन बिछाई जाए, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अरनेज स्टेशन जो अभी फ्लैट कैटेगरी में है, उसे बी कैटेगरी में अपग्रेड किया जाए। तारापुर से अरनेज हेतु नई रेलवे लाइन के लिए तीन बार सर्वे भी हो चुका है। … (व्यवधान)

सदन के माध्यम से माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र और आसपास की जनता की वर्षों पुरानी मांग तारापुर और अरनेज के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु प्रभावी कदम उठाने बाबत संबंधित को आदेशित करने का कष्ट करें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.37 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

At this stage, Shri Benny Behanan, Shri A. Raja, Shrimati Satabdi Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

16.01 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 - Contd.

HON. CHAIRPERSON: Kumari G. Madhavi.

(xviii) Regarding enhancing construction cost for constructing homes under Prime Minister Awas Yojana

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Sir, I would like to draw the attention of Government through this august House towards the sanctioned amount of Rs. 1.8 lakh for construction of 350 square feet house under Prime Minister Awas Yojana Scheme.

In this connection, I wish to bring to the notice of the Government that the construction cost per sq. ft. even in urban plain areas, where material transport is less expensive, is around Rs. 800. Accordingly, the estimated construction cost with minimum amenities for 350 sq. ft. including toilets comes to around Rs. 2.80 lakh. In addition, material transport charges for remote tribal areas, where the proposed housing is planned, would be around Rs. 28,000 per house.

Therefore, I earnestly request the hon. Minister through you to enhance the construction cost with minimum amenities for each house under the said scheme to Rs. 3 lakh rupees in tribal areas under the ST Sub-Plan.

(xix) Need to revive the Rajendra Kushth Sewa Ashram, Siwan in Bihar

श्रीमती कविता सिंह (सिवान): महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अपने संसदीय क्षेत्र सिवान का मामला सदन में उठाने के लिए दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सादर आग्रह करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान में राजेन्द्र कुष्ठ सेवा आश्रम है, जो भारत सरकार की फण्डिंग से चलता था। देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के द्वारा इस कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। सिवान जिले सहित पूरे बिहार एवं उत्तर प्रदेश के सभी कुष्ठ रोग से ग्रसित मरीजों की देख-रेख एवं रखरखाव का काम संस्थान द्वारा किया जाता था। आज यह सेवा आश्रम वीरान पड़ा है।**… (व्यवधान)**

माननीय सभापति: कृपया लिखित पाठ के अतिरिक्त कुछ मत बोलिए।

… (व्यवधान)… *

श्रीमती कविता सिंह : अत: महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आग्रह करती हूं कि इस संस्थान के जीर्णोद्धार हेतु योजना बनाने की कृपा करें। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपने स्थानों पर जाएं। कृपया सहयोग करें।

… (व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय सभापति : प्लीज अपने स्थानों पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही चार बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

16.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

16.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

16.30 ½ hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

16.31 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 - Contd.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jayadev Galla ji.

… (*Interruptions*)

(xx) Regarding issue of notification regulating the use of RO Purifier

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): *… (Interruptions) …* * It is the responsibility of both the Central and State Governments to take measures to protect public health and environment. There have been complaints that RO systems used in India are de-mineralising water. So, Expert Committee was constituted which recommended that if TDS is less than 500 milligrams per litre, such RO system will remove important minerals and also cause undue wastage of water. … (*Interruptions*)

Issue has gone before NGT and it had directed the Government of India to immediately issue notification banning RO purifiers where TDS in water is below 500 milligrams per litre. The Ministry then sought extension of time for notification due to the pandemic and NGT granted the same. The period expired, I think, in January. Government sought four more months for issue of notification – two months for inviting comments and two months for finalisation. … (*Interruptions*)

* Not recorded.

Now, that period is over. Hence, I appeal to the Government of India to issue notification in the interest of public health. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अध्यक्षपीठ से बराबर प्रार्थना की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया आप सहयोग करें, सदन को चलने दें, अपनी बात कहें और अन्य माननीय सदस्यों को भी बात कहने का अवसर दें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नारायण जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अब्दुल खालेक जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री ए. गणेशमूर्ति जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पी. वेलुसामी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री संजय जाधव जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती वीणा देवी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री हनुमान बेनीवाल जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं पुन: आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी सीट पर जाकर बैठें, सहयोग करें, सदन की कार्यवाही में भाग लें और अपना विषय यहां रखें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

16.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 28, 2021/ Sravana 6, 1943 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)